रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 250

No. 278] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 250

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सं. 09/2019-राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(65)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/500.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (एतश्मिन पश्चात् जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 12 सितम्बर, 2019, जिसे सं. फा. 03(52)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/425 दिनांक 12 सितम्बर, 2019, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में ,में (3) कॉलम ,खण्ड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

"8. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18 (4)

और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट पर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।"।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) दिल्ली माल एवं सेवाकर नियम, 2017, जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो, यथा-आवश्यक परिवर्तनों समेत, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो ।"।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव

नोट : मूल अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर (दर), तारीख 12 सितम्बर, 2019 को सं. फा. 03(52)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/425, तारीख 12 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित की गई।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd October, 2019

No. 09/2019– State Tax (Rate)

F. No. 3 (65)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/500.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (herein after referred to as the "said Act"), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I) No.02/2019- State Tax (Rate), dated the 12th September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3(52)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/425 dated the 12th September 2019, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, in column 3, after clause 7, the following clause shall be inserted, namely:—

"8.Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under this notification, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods as if the supply made under this notification attracts the provisions of section 18(4) of the said Act and the rules made there-under and after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.";

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: -

"(iii) the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, as applicable to a person paying tax under section 10 of the said Act shall, *mutatis mutandis*, apply to a person paying tax under this notification.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 02/2019–State Tax (Rate), dated the 12th September, 2019 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F. 3(52)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/425 dated the 12th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.24 18:48:27 +05'30'